राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : न्याय/कोरोना/2020/ 22906                                                दिनांक 08.05.2020

## :: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वॉयरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

उपराजिस्ट्रार सहकारी समितिया भीलवाडा के पत्रांक 849 दिनांक 05.05.2020 से अवगत कराया हैं कि लॉकडाउन के तहत कर्फ्यु के कारण गुलाबपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति, गुलाबपुरा में सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य की खरीद प्रारम्भ नहीं हो पा रही हैं। उप रजिस्ट्रार द्वारा उपरोक्त पत्र से क्रय केन्द्र गुलाबपुरा को प्रारम्भ करने की अनुमति चाही हैं। उप रजिस्ट्रार के पत्र के क्रम में निम्न शर्तो के अध्यधीन, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 गुलाबपुरा मे राजफेड के माध्यम से संचालित सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर किसानो की फसल खरीद हेतु कृषि मण्डी गुलाबपुरा मे खरीद केन्द्र प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तो की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
2. उक्त कार्य मे कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी/कृषक को फेस मॉस्क/सेनेटाईजर का उपयोग/लगाना तथा अनिवार्य होगा ।
3. Social distance के निर्धारित मापदण्डों अनुरूप निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा तथा लंच के दौरान भी कार्यरत श्रमिकों एंव कार्मिकों में सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी ।
4. सभी कार्मिको/श्रमिको/कृषकों का विभिन्न चरणो मे स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाना अनिवार्य होगा, उसके उपरान्त ही कार्य करने की अनुमति होगी।
5. कार्यरत श्रमिको एवं कार्मिको की सूची संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायेगें जिसमे संबधित का मूल निवास का पता व मोबाईल नम्बर अकिंत होंगा।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त परिसर को विसंक्रमित करना अनिवार्य होगा। आम सतहों की बार–बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी एंव

इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, तथा ग्राहको को सेनेटाईजर उपलब्ध कराने होगें।

7. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी/कृषक का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य किये जाने की अनुमति होगी।
9. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर कार्य स्थल से हटाया जाकर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
10. गुटखा तम्बाकू के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। गुटखा तम्बाकू का विक्रय /सेवन/थूंकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, इस संबध मे क्रय केन्द्र पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रदर्शित करनी होगी।
11. सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी को आरोग्य सेतु ऐंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।
12. उक्त क्रय केन्द्र पर कार्य हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
13. उक्त कार्य हेतु न्यूनतम कार्यरत स्टॉफ कर्मी को ही उपयोग मे लिया जावेगा।
14. लॉक डाउन अवधि के वेतन का भुगतान किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगें।
15. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो की पालना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा करवाई जाना सुनिश्चित करेगें, तथा क्रय केन्द्र का समय समय पर निरीक्षण करेगे। शर्तो की अवहेलना व उल्लघंन पाये जाने पर उक्त अनुमति निरस्त कराने हेतु अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करगें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
2. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
4. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
5. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में संस्थान एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों की समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
8. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
9. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाडा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, भीलवाड़ा।

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा